29/11/24

FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम किशनगढ़ (अजमेर)

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

प्रार्थी

बनाम

1. ग्राम पंचायत खातौली जरिये सरपंच ग्राम पंचायत खातौली तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

अप्रार्थी

किस्म मुकदमा – धारा 131,132 भू राज अधिनियम 1956 तथा नियम 58,59,60,66,86 राज भू अभिलेख नियमावली 1957।

नंबर 259 / 2024

ऑन लाईन नंबर 2024 / .....

वकील प्रार्थी:– तहसीलदार किशनगढ वकील अप्रार्थी ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
29.11.2024	यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार किशनगढ द्वारा अन्तर्गत धारा 131,132 भू राज अधिनियम 1956 तथा नियम 58,59,60,66,86 राज भू अभिलेख नियमावली 1957 के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम चिताखेडा पटवारी हल्का खातौली भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खातौली तहसील किशनगढ स्थित भूमि खसरा संख्या 76 कुल रकबा 0.1000 हैक्ट. किस्म चरागाह मे से 0.1000 हैक्ट. रकबा में मौके पर चिताखेड़ा से कुचील जाने वाला रास्ता बना होने से उक्त रकबा को रास्ते हेतु अधिगृहित कर उक्त भूमि में रास्ता कायम करने व रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज करने बाबत न्यायालय हाजा में पेश किया गया। हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र का अवलोकन एंव अध्ययन किया गय ग्राम चिताखेडा पटवारी हल्का खातौली भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खातौली तहसील किशनगढ स्थित भूमि खसरा संख्या रकबा 0.1000 हैक्ट. की किस्म चरागाह है जो कि राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अनुसार प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है तथा चरागाह भूमि में से रास्ता दिया जाना प्रतिबन्धित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.12.11 12:19:30 IST
Reason: SelfAttested